कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 01/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री अमर सिंह जाखड, वी.पी.ओ. पल्लू तहसील रावतसर
जिला हनुमानगढ।

--अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

--प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः-30.01.2018

यह अपील सूचना का अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई है।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2018 जरिये डाक प्राप्त हुआ। अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के अनुसार जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ का पत्र कमांक 322 दिनांक 17.01.2018 प्राप्त हुआ जिसमें पत्रांक 10028 दिनांक 27.11.2017 द्वारा भिजवाई जाना बताया गया है जबकि उसे अभी तक संबंधित विभाग से कोई सूचना प्राप्त नही हुई है। उक्त प्रार्थना पत्र में रसद विभाग से सूचना दिलवाने हेतु निवेदन किया हैं।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से पत्र कमांक 322 दिनांक 17.01.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के उक्त पत्र कमांक 322 दिनांक 17.01.2018 के साथ संलग्न पत्र कमांक 10028 दिनांक 27.11.2017 की फोटो कापी का अवलोकन करने से जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया जाना पाया गया। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2018 का अवलोकन करने से जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के पत्र कमांक 322 दिनांक 17.01.2018 जिसकी प्रतिलिपि पत्र कमांक 323 दिनांक 17.01.2018 के साथ पत्र कमांक 10028 दिनांक 27.11.2017 से संबंधित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त नही होना प्रतीत होता हैं। अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते है कि उक्त पत्र कमांक 10028 दिनांक 27.11.2017 से संबंधित सूचना अपीलार्थी को उपलबध करवाई जावे। अपीलार्थी की वर्तमान अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official